

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को अब मिलेंगे 10 हजार रुपये

परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय

दुर्घटना (एसएनबी)।

दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को अब 10 दस हजार की पुरस्कार राशि दी जायेगी। इसकी परिवहन विभाग की मंत्री श्रीमती शीला ने बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा हेतु विहार सड़क सुरक्षा परिषद एवं विभिन्न पणधारी (गृह विभाग, परिवहन, पथ निर्माण, कार्य, एनएचआई, स्वास्थ्य, नगर एवं शिक्षा विभाग) द्वारा किये जा रहे कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने एनएचआई/मोर्थ के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि बसावट वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एनएच के किनारे सुरक्षात्मक ग्रील लगाया जाये।

परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि वर्तमान में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को जिलों में 5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। अब तक कुल 919 गुड सेमेरिटन को पुरस्कार दिया गया है। 15 अगस्त, 26 जनवरी के अवसरों पर सम्मानित किया गया है। गुड सेमेरिटन संबंधित दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रसार हेतु जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की दीवारों पर जागरूकता युक्त



बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक करतीं सूबे की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी।

बोर्ड का अधिष्ठापन किया गया है।

मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को ससमय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया जाये तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग घायल पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आएं। ऐसे लोगों को

प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने सम्मान राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये करने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि जिलों में जहां बस पड़ाव का निर्माण हो वहां मॉडल प्राक्कलन में लघु शौचालय एवं यथासंभव पेयजल की भी सुविधा हो। परिवहन सचिव श्री पाल ने कहा कि सड़क दुर्घटना एवं दुर्घटना के फलस्वरूप मृतकों की संख्या में कमी लायी जा सके इसके

लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा विभिन्न स्टोक होल्डर डिपार्टमेंट के सहयोग से कार्य किये जा रहे हैं। जन जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किये जा रहे हैं। इसे और भी व्यापक तौर पर प्रचारित-प्रसारित किया जाएगा। परिवहन, पुलिस और अन्य संस्थानों द्वारा अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

राज्य परिवहन आयुक्त श्री वी. कार्तिकेय धनजी ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से

■ बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न पणधारी विभागों (स्टोक होल्डर) द्वारा किये जा रहे कार्यों और योजनाओं की विभागवार की गई समीक्षा

■ मंत्री शीला कुमारी ने बैठक में एनएचआई प्रतिनिधि को बसावट वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एनएच के किनारे लगाने को कहा सुरक्षात्मक ग्रील

सड़क सुरक्षा हेतु सड़क सुरक्षा परिषद एवं विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग तथा गलत दिशा में वाहन चलाना है। ओवर स्पीडिंग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सर्वाधिक दुर्घटना वाले 5 एनएच पर स्टैटिक रडार गन स्थापित किये जाने एवं चलायिंग का प्रस्ताव है।

इस मौके पर विशेष सचिव, गृह विभाग केएस अनुपम, एडीजी, यातायात सुधांशु कुमार, मोर्थ पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी, एनएचआई, पटना के क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।